फा.सं.जेड-14014/1/2019-जीसी (ई-9315)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

एनबीओ बिल्डिंग, निर्माण भवन,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 19.11.2019

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: अक्तूबर, 2019 के दौरान भूमि संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का मासिक सार।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त दिनांक 17.08.2018 एवं 11.10.2018 के पत्रांक 1/26/1/2018-कैब. का उल्लेख करने और अक्तूबर, 2019 के लिए भूमि संसाधन विभाग के मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की एक प्रति इस पत्र के साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

अनुलग्नकः यथोक्त।

टीएच लियानबोई

(टीएच. लियानबोई)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23044635

सेवा में,

मंत्री परिषद के सभी सदस्य।

प्रतिलिपि प्रेषितः-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली -110004
2. भारत के उप-राष्ट्रपति के सचिव, नं. 5, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली -110011
3. भारत के प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली -110011
4. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
5. सभी सचिव, भारत सरकार।
6. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004
7. तकनीकी निदेशक, (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव
2. माननीया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के निजी सचिव।

अक्तूबर, 2019 माह के दौरान भूमि संसाधन विभाग द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और मुख्य कार्यकलापों का सार

परियोजना स्वीकृति और निगरानी समिति (पीएसएंडएमसी) की बैठक 11.10.2019 को आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदित किए गए।

i. 8 राज्यों में डीआईएलआरएमपी का मूल्यांकन और प्रभाव आकलन ग्रामीण अध्ययन केंद्र (एलबीएसएनएए) द्वारा किया जाना है।
ii. असम में भूकर मानचित्रों का डिजिटीकरण।
iii. 2019-20 के दौरान क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों और राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना।
iv. प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन।

2. नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए मसौदा मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 की जांच करने और प्रोत्साहक भूमि पट्टा की आवश्यकता, व्यावहारिकता और वांछनीयता को देखते हुए भावी नीति की सिफ़ारिश करने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। मंत्रियो के समूह में रक्षा मंत्री; गृह मंत्री; कृषि और किसान कल्याण; ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री; सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री; जनजातीय कार्य मंत्री; पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री; रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 5 राज्य मंत्रियों सहित 12 मंत्री शामिल हैं।

3. डीआईएलआरएमपी की बदली गई वित्त पोषण पद्धति को अग्रिम निधि जारी करने के स्थान पर प्रतिपूर्ति आधार पर करने के साथ 31 मार्च, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया है। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों में कुछ मौजूदा घटकों को भी शामिल नहीं किया गया था। स्कीम में कुछ घटकों को पुनः शुरू करने और वित्तपोषण पद्धति को अग्रिम आधार पर करने के लिए एक ईएफसी प्रस्ताव अगस्त, 2019 को संबंधित मंत्रालयों/विभागों में परिचालित किया गया है। विभाग में वित्त मंत्रालय से उनके दिनांक 27.08.2019 के कार्यालय-ज्ञापन सं. 09(/04/पीएफ-II/2008 (खंड.II) के तहत प्राप्त उनकी टिप्पणियों/उत्तर की जांच की गई और वित्त मंत्रालय को इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया है।

4. मंत्रिमंडल सचिव द्वारा 10.10.2019 को निश्चायक भूमि स्वामित्वाधिकार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, सचिव, भूमि संसाधन विभाग, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, अपर सचिव, गृह मंत्रालय के साथ बैठक की गई। आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों/प्रतिनिधियों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों/प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया।

5. सचिव, भूमि संसाधन विभाग की अध्यक्षता में प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए बहु-राज्यीय वाटरशेड परियोजना नामतः "रेजुवीनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलिएन्स थ्रू इन्नोवेटिव डेवलपमेंट" (आरईडबल्यूएआरडी) के कार्यान्वयन लिए विश्व बैंक के प्रतिनिधियों और राज्य अधिकारियों के साथ 22 अक्तूबर, 2019 को एक बैठक का आयोजन किया गया।

6. एनआईआरडी एंड पीआर, हैदराबाद में 23-24 अक्तूबर, 2019 को डबल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत 9 राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना के लिए पीएफएमएस पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।

*****